



CF-15-20

अपील 1770-I/07



माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

सं-2007

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक-

1. रघुासी तनय नन्हें कुर्मी  
गोकुल तनय नन्हें कुर्मी, निवासीगण ग्राम पुलारी,  
तह0 नौगांव, जिला उत्तरपुर म0प्र0

अपीलार्थीगण

बनाम

1. अयोध्या तनय कदई कुर्मी,
2. मोतीलाल तनय कदई कुर्मी,
3. धर्मदास तनय कदई कुर्मी, समस्त निवासीगण ग्राम पुलारी  
तह0 नौगांव, जिला उत्तरपुर म0प्र0

उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा-44 म. प्र. भू. रा. संहिता-1959  
अपील विरुद्ध अति कमिश्नर संभाग सागर के प्रकरण प्र  
679/अ-6/2006-07 में पारित आदेश दि0-30.07.

महोदय,

अपीलार्थीगण सादर निम्नलिखित विनय प्रस्तुत करते हैं :-

1- यह कि संहिता में मामला इस प्रकार है कि अपीलार्थीगणों के  
स्वना दिये नामांतरण पंजी क्र0-11 में राजस्व निरीक्षक महाराजपुर, तह0  
जिला उत्तरपुर म0प्र0 के द्वारा पंजीयन पर बंटवारा दि0-14.09.1991  
दिया गया था जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के यहाँ पर  
प्र0क्र0-39/अपील/2005-06 में पारित आदेश दि0-29.11.06 को अपील  
करते हुए दि0-14.09.1991 को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था तथा  
निर्देश भी दिया गया था कि संहिता की धारा-178 का पालन करते  
पक्ष को विधिवत् सुनते हुए आदेश पारित करें तथा इसी आदेश के विरुद्ध  
वादीगणों द्वारा रिहसिब निगरानी प्र0क्र0-181/निग./2006-07 अयोध  
द्वारा अपर कोलेक्टर के यहाँ पेश की गयी थी जिसमें दि0-12.07.07  
पारित किया गया था जिसमें निगरानी निरस्त की गयी थी और अ  
प्र0क्र0-39/अपील/2005-06 में पारित आदेश दि

श्री सुबोध शक्ति पाव  
वकील  
प्रकरण  
क्र 0

24/10/07

जानाजय कलेक्टर  
जिला उत्तरपुर म0प्र0  
प्रस्तुत करने का नाम श्री सुबोध शक्ति पाव  
प्राप्त दि 30.10.07  
राजस्व प्राप्ति इकाई  
दिनांक 24.10.07

अधीनस्थ

क्र. 5728

जस्टिस पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 30-10-07 को प्राप्त

कुलकर्णी ऑफिस  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
30/10/07



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1770-दो/07

जिला - छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि वं हस्ताक्षर
10-4-2014	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री भुवनेश तिवारी एवं आवेदक श्री ग्यासी तनय नन्हें कर्म निवासी ग्राम पुलारी तहसील नौगावं जिला छतरपुर को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । दिनांक 3.3.14 को एवं दिनांक 20.3.14 को श्री एस0के0 अवस्थी द्वारा अवगत कराया गया था कि वह आगामी पेशी तक वकालतनाम पेश कर देंगे लेकिन उनके द्वारा आज दिनांक वकालत नामा पेश नहीं किया है । अतः प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण अनुपस्थित होने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"><i>Amuray</i> सदस्य</p>	<p style="text-align: right;"><i>2007</i></p>